कविता

तू क्यों तोड़ती पत्थर?

(निराला की 'वह तोड़ती पत्थर' से प्रेरणा लेकर)

तुझे पढ़ाते–पढ़ाते साठ वर्ष से
ऊपर हो चले हैं
और तू अभी तक तोड़ती है पत्थर?

अब तक तो तेरे श्याम तन पर
बंधा यौवन कृशकाय हो गया होगा
और तू अभी तक तोड़ती है पत्थर?
अरे गुरु हथौड़ा हाथ था तेरे हाथ
क्यों नहीं तोड़ा तूने अपनी वर्जनाओं को
क्यों नहीं किया प्रहार उस पर
जिस पर चाहिए था करना

क्यों नहीं रोई ज़ार–ज़ार
क्यों देखती रही मूक बन कर खा मार

अरे पेड़ भी थे छायादार
और सामने थी अट्टालिका
फिर भी नहीं आया विचार
और तू सिर्फ़ तोड़ती रही पत्थर
तू केवल कर्म में रही लीन
पोछती रही माथे का पसीना

कभी कौंधा नहीं विचार?
किसने किया ये हाल?
इसीलिए रहेगी तू तोड़ती पत्थर?
कब तक रहेगी तू तोड़ती पत्थर?

तेरे गुरु हथौड़े की चोट की आस में
एक पीढ़ी अहिल्या बन गई है
और उधर उठा है नया अपवाद
राम आएंगे और करेंगे उद्धार
इसलिए लगता है कि तय है
तू अभी और, रहेगी तोड़ती पत्थर।

– प्रो. उदयबीर सिंह

मज़दूर मोर्चा पाक्षिक

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी,
9811159238

प्रिंट फोर्ट

नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी फरीदाबाद में भी मज़दूर मोर्चा उपलब्ध है।

पेज 1 का शेष भाग

उपभोक्ता फ़ोरम अध्यक्षा द्वारा धोखाधड़ी व फ़ाइल में जालसाजी

आदेश के इस घपले को ठीक करने बाबत प्रतिवादी वकील ने 4.3.11 को एक दरखास्त फ़ोरम को दी जिस पर सदस्य सतीश मित्तल की राय को दरकिनार करते हुए फ़ोरम अध्यक्षा व महिला सदस्य ने बंद कमरे में आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया। नियमानुसार इसे खारिज करने से पूर्व फ़ोरम को इस पर खुली अदालत में सुनवाई करनी चाहिये थी।

इसके अतिरिक्त फ़ोरम के ज़िमनी आदेश दिनांकित 17.2 व 24.2 को बदला गया तथा 22.02.11 के आदेश को फ़ाइल से गायब ही कर दिया गया। दिनांक 29.3.11 को लिखे गये सतीश मित्तल के आदेश में भी भारी काट–छांट की गई है।

दरअसल, उपभोक्ता मंच द्वारा किया गया उक्त मामला कोई अपवाद नहीं है। राज्य भर के लगभग सभी उपभोक्ता फ़ोरमों में यही कुछ हो रहा है। चौटालों के राज में फ़रीदाबाद उपभोक्ता फ़ोरम द्वारा लूट का पट्टा करनाल के चौधरी नामक एक वकील को दिया गया था, जो वादियों–प्रतिवादियों के घरों तक जा कर भी पैसे मांगने से नहीं शर्माते थे। उनके बाद कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायपालिका से नियुक्त किये गये खनगवाल द्वारा लूट के कई कारनामे 'मोर्चा' में प्रकाशित किये गये थे। राज्य के शेष ज़िलों में भी हालात इससे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते। विदित है कि ज़िला उपभोक्ता फ़ोरमों में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कहने को तो यह नियुक्ति खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह सब मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसलिए पाठकों को समझ लेना चाहिए कि इन लोगों द्वारा जो भी लूट–खसोट की जा रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री ही उत्तरदायी हैं।

पलवल फ़ोरम की महिला सदस्य पुष्पा मेहता

ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम में एक अध्यक्ष के अलावा एक पुरुष तथा एक महिला को सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को तो एक जज के समान पूरा वेतन तथा मुफ़्त आवास की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है जबकि दोनों सदस्यों को प्रतिदिन की हाज़िरी लगाने पर 500 रुपये मिलते हैं। स्थानीय निवासड्डी को तो यह रकम शायद पर्याप्त हो सकती है, लेकिन जो सदस्य 300 किलोमीटर से चल कर रोज़ आयेगा और जायेगा, वह इस रकम में से क्या खायेगा और क्या बचायेगा? पुष्पा मेहता सिरसा की रहने वाली हैं। इनकी नियुक्ति 1 फ़रवरी, 2011 को हुई थी। विश्वस्त जानकारी के अनुसार पूरे फ़रवरी माह में वे केवल तीन बार ड्यूटी पर आई हैं जबकि अध्यक्षा की मेहरबानी से हाज़िरी पूरे महीने की लगती रही। इत्तफाक से अध्यक्षा को 2 मार्च से 23 मार्च तक छुट्टी पर रहना पड़ गया तो उनकी गैरहाज़िरी में अध्यक्ष पद संभालने वाले सतीश मित्तल ने फ़र्जी हाज़िरी लगाने से मना कर दिया तो इस दौरान पुष्पा मेहता की केवल तीन ही हाज़िरी लग पाई, जिन दिनों वे वास्तव में आईं। ज़ाहिर है, जो अध्यक्ष किसी सदस्य को बिना हाज़िर हुए ही हाज़िर दिखा कर 500 रुपये की दिहाड़ी बनवा दे तो उसका 'सहयोग' तो करना ही पड़ेगा न। इस तरह की सदस्य पुष्पा मेहता ही अकेली नहीं हैं, अनेकों सदस्य ऐसे हैं जो रहने वाले तो किसी शहर के हैं और उनको सदस्यता दे रखी है किसी दूर–दराज के शहर की। समझना कठिन नहीं है कि वह सदस्य 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए 100–200–300 किलोमीटर क्यों जायेगा? वह 'भ्रष्टाचार जिंदाबाद!' नहीं करेगा तो क्या करेगा?

सांसद की अध्यक्षता में विजिलेंस कमेटी का नाटक

लेकिन इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए सांसद के साथ 20 से 30 वे लगुए–भगुए तथाकथित नेता भी शामिल होते रहते हैं, जिन्होंने ज़िले भर के सरकारी कार्यालयों में अपनी दुकानदारी चमकानी होती है। इसके अतिरिक्त सरकारी भोज तो मुफ़्त में मिलता ही है।

ऐसी ही एक मीटिंग 29 मार्च 2011 को सेक्टर–15ए के जिमखाना क्लब में संपन्न हुई। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त के नेतृत्व में तमाम ज़िलाधिकारी सांसद भड़ाना के सामने पेश हुए। हर बार की तरह पिछली मीटिंग में लिए गये निर्णयों पर अमल न करने के लिए सांसद ने अधिकारियों को लताड़ा, जिससे अफ़सरों की फ़जीहत व सांसद के साथ आये तमाम लगुए–भगुओं की हौंसला अफ़जाई हुई। इससे उन्हें अच्छा–खासा प्रशिक्षण मिलता है कि अफ़सरों से कैसे बर्ताव किया जाता है।

यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि जब अफ़सरों के निकम्मेपन को ले कर हर मीटिंग में यही लताड़–पछाड़ होनी है तो इस तरह की मीटिंगों पर व्यर्थ पैसा व समय क्यों गंवाया जाता है? क्यों नहीं ऐसे अफ़सरों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाती? विदित है कि ज़िले में लगभग तमाम अधिकारी अपने राजनीतिक जोड़–तोड़ के बल पर तैनात हैं। इनका जुगाड़ इतना मजबूत होता है कि उनके विरुद्ध कोई ठोस प्रशासनिक कार्यवाही कर पाना तो दूर, उनका तबादला भी आसानी से नहीं कराया जा सकता। वैसे इनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही कराना सांसद का भी उद्देश्य नहीं होता, हड़काने के पीछे उसका उद्देश्य भी केवल इतना ही होता है कि अफ़सरों पर उसका व उसके चमचों का रौब बना रहे ताकि उनके उल्टे–पुल्टे निजी काम–धंधे चलते रहें।

कन्या भ्रूण हत्यारों से जब मंथली ली जायेगी तो लिंग अनुपात कैसे ठीक होगा?

ज़ाहिर है ऐसा करने के लिए उन्हें पर्याप्त रिश्वत पहुंच चुकी थी।

छापामार टीम की रिपोर्ट काफ़ी समय तक ठंडे बस्ते में पड़े रहने के बाद सारे मामले की जांच का काम गुड़गांव मंडल के आयुक्त डीपीएस नागल को सौंपा गया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भेजी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि किस तरह से सीएमओ सहारण, उनके बाद आये सीएमओ दलाल तथा पटौदी के एसएमओ शर्मा के पूर्ण संरक्षण एवं मिलीभगत से खुलेआम यह सब हो रहा था। इतना ही नहीं, इस पूरे रैकेट को चलाने वाला कोई सचमुच का डॉक्टर भी नहीं था, वह तो केवल फ़र्जी डिग्रीधारक एक सज़ायाफ्ता व्यक्ति था। सरकार की ढीलीमीली कार्यवाही का लाभ उठा कर वह नकली डॉक्टर तो फ़रार होने में कामयाब हो गया और अब कहीं और जा कर अपना धंधा जमा लिया होगा।

मंडल आयुक्त नागल की रिपोर्ट के बावजूद 31.3.2009 तक भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जगदीश जैसे किसी समाजसेवी ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी, जिस पर हाई कोर्ट ने 8 अगस्त 2009 को हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह दोषियों के विरुद्ध तुरंत विभागीय कार्यवाही करे। उधर सहारण की सेवानिवृति तारीख 30 सितंबर 2009 भी नज़दीक आ रही थी। लिहाजा सहारण ने दस लाख रुपये मुख्यमंत्री कार्यालय तथा पांच लाख रुपये तत्कालीन श्रम मंत्री एकाग्र चंद चौधरी को इस बात के लिए दिये कि उसके विरुद्ध होने वाली कार्यवाही को उसकी सेवानिवृति तक रोके रखा जाये। चौधरी को रकम इसलिए दी गई थी कि उस समय सहारण श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआई का निदेशक था। दी गई रिश्वत काम कर गई और सहारण सही–सलामत सेवानिवृत हो कर मज़े से घर चला गया। और हाई कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब कुछ समाजसेवी हाई कोर्ट को यह बताने की तैयारी में हैं कि राज्य सरकार ने उसके आदेश के साथ कैसे–कैसे सामूहिक बलात्कार किया है।

दूसरों का मैला सिर पर उठाने वाले लोग

भारत में 13 लाख लोग दूसरों का पाखाना अपने सिर पर उठा कर फेंकते हैं। हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाली दलित जातियों के ऊपर ब्राह्मणवादियों ने प्राचीन काल में यह घृणित कार्य थोपा था। आज़ादी के छः दशक गुजर जाने के बाद भी इस पेशे में लगे लोगों की नारकीय ज़िंदगी इस लोकतंत्र के चेहरे पर बदबूदार धब्बा है। 1993 में सिर पर मैला ढुलाई के काम में किसी व्यक्ति को लगाने या उठाऊ पैखाना बनवाने के खिलाफ़ कानून बन जाने के बाद भी हमारा समाज इस अमानुषिक और नीचतापूर्ण पेशे से लोगों को मुक्त नहीं कर पाया। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस कानून के निकम्मेपन की ओर दिलाते हुए यह बताया गया था कि 1992 में 5.88 लाख लोग इस काम में लगाये गये थे जो दस सालों में बढ़ कर 7.87 लाख हो गये। यही वह दौर है जब इटली से टाइल्स मंगावा कर हमारे शासक अपने बाथरूमों की भव्यता में चार चांद लगा रहे थे। अपने लिए स्वर्ग के निर्माण में वे इतने लिप्त थे कि नरक में धकेली जाती जनता की उनहें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी।

आंध्र प्रदेश में मैला ढोने के काम में लगे दलित समुदाय के बीच सक्रिय संगठन सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार आाज देश भर में 13 लाख लोग इस घिनौने पेशे में लगे हुए हैं। न केवल घरों में बल्कि नगरपालिकाओं, सेना और रेलवे में भी दलितों को इस गुलामी से भी बदतर काम में लगाया गया है। हमारे देश में कानून की कीत कागज के टुकड़े से अधिक होती तो आज लाखों लोग जेल के सींखचों के पीछे होते। लेकिन आम नागरिक ही नहीं, सरकारी महकमों के आला अफ़सर भी इस अपराध में लिप्त हैं।

यह कैसा विकास?

'एच.ए.क्यू. : सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' की हाल में जारी रिपोर्ट 'स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया इंकर्पोरेशन' के मुताबिक भारत में विकास दर ऊंची है और शेयर बाज़ार छलांग लगा रहा है जबकि बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में है। हर साल 25 लाख बच्चे पांच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। देश में पैदा होने वाले 100 में से 87 बच्चों के पांच साल की उम्र तक मरने की संभावना रहती है।

दुनिया में सबसे अधिक यौन शोषण के शिकार बच्चे भारत में ही हैं जहां हर 10 मिनट में एक बच्चा हर समय यौन उत्पीड़न झेल रहा होता है। रिपोर्ट में लगाये गये अनुमान के मुताबिक हमारे देश में मज़दूरी, शादी, मनोरंजन और वेश्यावृत्ति के लिए हर साल छः से सात लाख बच्चों की खरीद–बिक्री होती है।

गुर्दों का बाज़ार

मद्रास में गुर्दों का बाज़ार लगता है जहां जा कर ग़रीब और मजबूर लोग अपने गुर्दे, फेफड़े और शरीर के अन्य अंग बेचते हैं। पहले अमीर लोग ग़रीबों का खून–पसीना पी कर ही तृप्त हो जाते थे, लेकिन अब वो ग़रीबों के गुर्दे, फेफड़े और अन्य अंगों को निकाल कर अपने शरीर में लगवाने लगे हैं। इसे भी एक तरह का विकास कह सकते हैं।